



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 436]  
No. 436]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 1986/भाद्र 26, 1908  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 1986/BHADRA 26, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Page(s) is given to this Part in order that it may be filed as  
a separate compilation

कार्मिक और लोक शिक्षा तथा पेंशन विभाग

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

सा. का. नि. 1092(अ) :—केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) अभिप्रेत है;

(ख) "सरकार" से कर्नाटक सरकार अभिप्रेत है।

(ग) "अधिकरण" से कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण अभिप्रेत है।

(घ) इन नियमों में जो शब्द तथा अभिव्यक्तियां प्रयुक्त की गई हैं मन्तु जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है और अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनका अर्थ क्रमशः यही होगा जो अधिनियम में दिया गया है।

3. वेतन :—(1) अध्यक्ष तीन हजार पांच सौ रुपए का वेतन और आई सौ रुपए का विशेष वेतन प्रति मास प्राप्त करेगा। उपाध्यक्ष तीन हजार पांच सौ रुपये का वेतन प्रति मास प्राप्त करेगा। सदस्य तीन हजार रुपए प्रति मास का वेतन प्राप्त करेगा।

परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दिशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में नियुक्त हुआ है या जो पेंशन या उपदान या दोनों, या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय के रूप में कोई सेवा निवृत्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो पूर्वोक्त वेतन में से उसके द्वारा प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पेंशन और उपदान के सम-तुल्य पेंशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवा निवृत्ति फायदों, यदि कोई हों, को कुल रकम कम कर दी जाएगी।

4. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या और कोई सदस्य उसी दरों पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को वेतन की समान दरों पर अनुभेय है।

5. सदस्य के रूप में नियुक्ति पर मूल सेवा से सेवा निवृत्ति :—(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य जो अधिकरण ने अपनी नियुक्ति की तारीख को, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में था, अधिकरण में अपनी नियुक्ति के पूर्व ऐसी सेवा से निवृत्ति ले लेगा। किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे आसीन न्यायाधीश की दशा में जिसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, अधिकरण में उसकी सेवा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग (घ) के पैरा 11 (ख) (i) के अन्तर्गत वास्तविक सेवा मानी जाएगी।

(2) उपनियम (1) में यथा उपबन्धित सेवा निवृत्ति पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अथवा कोई सदस्य—

- (i) उसको लागू सेवा निवृत्ति प्रसुविधाओं से संबंधित नियमों के अनुसार पेंशन और उपदान प्राप्त करने का हकदार होगा,
- (ii) उपाजित छुट्टी अर्जनीत करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा किन्तु अपनी सेवा निवृत्ति के पूर्व उसके लागू नियमों के छुट्टी सम्बलम् यदि कोई हो, के समतुल्य नकद रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

6. छुट्टी: (1) अधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति पर कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में छुट्टी करने का हकदार होगा :—

- (i) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष या उसके किसी भाग के लिए पंद्रह दिनों की दर पर उपाजित छुट्टी;
- (ii) सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष की बाबत बीस दिन की दर पर चिकित्सा प्रमाण पत्र या निजी काम के आधार पर आधा वेतन छुट्टी/आधा वेतन छुट्टी के लिए सम्बलम् उपाजित छुट्टी के दौरान अनुसंधान छुट्टी सम्बलम् के आधा के समतुल्य होगा;
- (iii) सदस्य के विवेकानुसार आधा वेतन पर छुट्टी को पूरे वेतन सहित छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकता है परन्तु वह चिकित्सीय आधारों पर ली गई हो और सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित की गई हो;
- (iv) पद की एक अवधि में एक सौ अस्सी दिनों की अधिकतम कालावधि तक वेतन और भत्ते के बिना असाधारण छुट्टी।

(2) यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अधिकरण के साथ अपनी कार्य व्यस्तता के कारण पूर्ण प्रावकाश का उपयोग करने में असमर्थ है, तो वह प्रावकाश की अनुपायुक्त कालावधि को छुट्टी के लेख में जोड़ने का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण :—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए "प्रावकाश" से अधिकरण द्वारा माने जाने वाले प्रत्येक कौन्डर वर्ष में तीस दिन की प्रावकाश अभिप्रेत है।

(3) अधिकरण में अपनी पदावधि की समाप्ति पर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अपने नाम में जमा उपाजित छुट्टी की बाबत छुट्टी सम्बलम् के समतुल्य नकद प्राप्त करने का हकदार होगा, परन्तु इस उपनियम और नियम 5 के उपनियम (2) के अन्वय (ii) के अधीन छुट्टी की मात्रा जिसकी नकद रकम प्राप्त की गई है एक सौ अस्सी दिनों से अधिक नहीं होगी।

(4) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अधिकरण से पदनुक्त होने की तारीख को प्रवृत्त वरों पर उपनियम (3) के अधीन यथा अनुसंधान छुट्टी सम्बलम् पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

परन्तु वह ऐसे छुट्टी वेतन पर नगर प्रतिकरात्मक भत्ते या किसी अन्य भत्ते का हकदार नहीं होगा।

7. छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी :—किसी सदस्य और उपाध्यक्ष की छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष

को छुट्टी मंजूर करने के लिए कर्नाटक का राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी होगा।

8. पेंशन : (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा, परन्तु ऐसी पेंशन वेतन नहीं होगी।

- (i) यदि उसने अधिकरण में दो वर्ष से कम सेवा की है; या
- (ii) यदि उसे अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण में किसी पद से हटाया गया है।

(2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन प्रत्येक पूरे सेवा वर्ष या उसके किसी भाग के लिए मातृ मी रूप, प्रति वर्ष की दर पर संगणित की जाएगी और अधिकरण में सेवा वर्ष की मर्यादा पर ध्यान दिए बिना, पेंशन की अधिकतम रकम 3,500/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

परन्तु इस नियम के अधीन देय पेंशन की कुल रकम ऐसी पेंशन जिसके अन्तर्गत संगणित पेंशन का भाग, यदि कोई है भी की रकम सहित, जो अधिकरण में पद धारण करते समय प्राप्त की गई है, या जिसको प्राप्त करने के लिए हकदार है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए विनिर्दिष्ट पेंशन की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी।

9. भविष्य निधि :—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य भविष्य निधि में अपने विकल्प पर अधिवाय करने का हकदार होगा और उसके ऐसा विकल्प होने की दशा में प्रखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली 1955 के उपबन्धों से शासित होगा।

परन्तु यदि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अधिकरण में अपना कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश था या प्रखिल भारतीय सेवा का सदस्य था या केन्द्रीय अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण किए हुए था, तो वह ऐसे नियमों से शासित होगा जो अधिकरण में कार्यभार संभालने के ठीक पूर्व उसको लागू थे।

10. यात्रा भत्ते :—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की सेवा पर या स्थान-न्तरण पर (जिसके अन्तर्गत अधिकरण में कार्यभार संभालने के लिए या अधिकरण से उसकी पदावधि की समाप्ति पर स्वनगर जाने के लिए की गई यात्रा भी है) यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों, व्यक्तिगत माल असबाब और अन्य समान चीजों के परिवहन के लिए उसी मापमान और शर्तों पर जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियम, 1956 में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।

11. छुट्टी यात्रा रियायत :—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य उन्हीं दिनों और उन्हीं शर्तों पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा जो कि उसी वेतनमान में वेतन पाने वाले प्रखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर लागू है।

12. वास सुविधा :—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में अधिकरण में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, सरकार द्वारा समय-समय पर विहित शर्तों पर अनुज्ञप्ति फीस के संदाय किए जाने पर उपयुक्त टाइप के शासकीय निवास का उपयोग करने का हकदार होगा बशर्ते कि ऐसा निवास स्थान उपलब्ध हो।

(2) जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट शासकीय निवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है या वह उसका उपयोग नहीं करता है तो उसे उसके वेतन के पंद्रह प्रतिशत के बराबर मना प्रतिमास मंडल किया जा सकेगा।

(3) जहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य अनुदेय अवधि के परे शासकीय निवास का उपयोग करता है तो वह यथारिक्ति, अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस या शासित किराये का संदाय करने का दायी होगा और उसे सरकार के नियमों के अनुसार बेदखल कराया जा सकेगा।

13. मशारी मुविधा :—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य सरकार के स्टाफ कार नियमों के अनुसार स्टाफ कार मुविधा का हकदार होगा।

14. चिकित्सा उपचार की मुविधाएं :—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य चिकित्सा उपचार और अस्पताल मुविधाओं का उसी प्रकार हकदार होगा जिस प्रकार सरकार के अधीन उनके बराबर सापमानों वाले किसी अधिकारी का अनुज्ञेय है।

15. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीशों की सेवा की शर्तें :—इन नियमों में किसी बात के होने हुए भी जहां किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश अधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उस पर, उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीशों के रूप में उनकी अधिवृत्ति की तारीख तक, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और उनके अधीन बनाए गए नियमों में यथा अनुविष्ट सेवा शर्तें लागू होंगी। उसके बाद वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में, जैसा की मामला हो, अपने कार्यकाल को शेष अग्रिम के लिए इन नियमों द्वारा शासित होगा।

16. अवशिष्टीय उपबन्ध :—अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य की सेवा शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध उपलब्ध नहीं है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों जिनका कि वेतन उनके बराबर है, पर उस समय लागू नियमों और प्रावणों द्वारा अवधारित की जाएगी।

17. नियमों को शिथिल करने की शक्ति :—केन्द्रीय सरकार को, लिखित किए जाने वाले कारणों से, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल करने की शक्ति होगी।

[स. ए.-11019/22/86-ए. टी.]

पी. जी. लेले, निदेशक

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 17th September, 1986

### NOTIFICATION

G.S.R. 1092(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- "Act" means the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985);
- "Government" means the Government of Karnataka;
- "Tribunal" means the Karnataka Administrative Tribunal;
- the words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Pay.—(1) The Chairman shall receive a pay of rupees three thousand five hundred plus a special pay of rupees two hundred fifty per mensem. A Vice-Chairman shall receive a pay of rupees three thousand five hundred per mensem. A Member shall receive a pay of rupees three thousand per mensem:

Provided that in the case of an appointment as Chairman, a Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of either pension or gratuity or both or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the aforementioned pay shall be reduced by the gross amount of pension and Pension equivalent of gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

4. Dearness allowance and city compensatory allowance.—The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall receive dearness allowance and city compensatory allowance admissible to the officers of the Central Government getting the same rates of pay.

5. Retirement from parent service on appointment as Member.—(1) The Chairman, a Vice-Chairman or a Member who, on the date of his appointment to the Tribunal, was in service under the Central Government or a State Government shall seek retirement from such service before his appointment to the Tribunal. In the case of a sitting Judge of a High Court who is appointed as Chairman or a Vice-Chairman, his service in the Tribunal shall be treated as actual service within the meaning of para 11(b)(i) of part 'D' of the Second Schedule to the Constitution.

(2) On such retirement as is provided for in sub-rule (1), the Chairman, a Vice-Chairman or a Member :—

- shall be entitled to receive pension and gratuity in accordance with the rules relating to the retirement benefits applicable to him.
- shall not be allowed to carry forward earned leave but shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary, if any, in accordance with the rules applicable to him prior to his retirement.

6. Leave.—(1) A person on appointment to the Tribunal as Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to leave as follows :—

- earned leave at the rate of fifteen days for every completed year of service or a part thereof;
- Half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service. The leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;
- leave on half pay can be commuted to full pay leave at the discretion of the individual provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate from the competent medical authority.
- extra-ordinary leave without pay and allowances upto a maximum period of one hundred eighty days in one term of office.

(2) If the Chairman, a Vice-Chairman or a Member is unable to enjoy full vacation on account of his occupation with the Tribunal, he shall be entitled to add the unenjoyed period of vacation to the leave account.

For the purpose of this sub-rule, "vacation" means vacation of thirty days in each calendar year observed by the Tribunal.

(3) On the expiry of his term of office in the Tribunal, the Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit provided that the quantum of leave encashed under this sub-rule and clause (ii) of sub-rule (2) of rule 5 shall not exceed 180 days.

(4) The Chairman, a Vice-Chairman and Member shall be entitled to receive the dearness allowance on the leave salary under sub-rule (3) as admissible at the rates in force on the date of the relinquishment of the office in the Tribunal;

Provided that he shall not be entitled for the city compensatory allowance or any other allowance on such leave salary.

7. Leave sanctioning authority.—The Chairman shall be the authority competent to sanction leave to the Member and the Vice-Chairman. The Governor of Karnataka shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.

8. Pension.—(1) Every person appointed to the Tribunal as the Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to pension provided that no such pension shall be payable.—

- (i) if he has put in less than two years of service with the Tribunal, or
- (ii) if he has been removed from an office in the Tribunal under sub-section (2) of Section 9 of the Act.

(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees seven hundred per annum for each completed year of service or a part thereof and irrespective of the number of years of service in the Tribunal, the maximum amount of pension shall not exceed rupees three thousand five hundred per annum:

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension specified for a judge of the High Court.

9. Provident Fund.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to the Provident Fund at his option, and in case of his so opting, shall be governed by the provisions of the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955;

Provided that if the Chairman, a Vice-Chairman or a Member was a Judge of a High Court or was a Member of an All India Service or was holding a post under the Central or a State Government immediately before his joining the Tribunal, he shall be governed by the rules which were applicable to him immediately before joining the Tribunal.

10. Travelling Allowances.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or to his home town on the expiry of his term with the Tribunal shall be entitled

to the travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are specified in the High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956.

11. Leave Travel Concession.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the leave travel concession at the same rates and at the same scales and on the same conditions as are applicable to the All India Services drawing pay at the same rates.

12. Accommodation.—(1) Every person appointed to the Tribunal as Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the use of official residence of appropriate type, subject to availability, on the payment of licence fee at the rates prescribed by Government from time to time.

(2) When the Chairman, a Vice-Chairman or a Member is not provided with or does not avail himself of the official residence referred to in sub-rule (1), he may be paid every month an allowance equal to fifteen per cent of his pay.

(3) Where the Chairman, a Vice-Chairman or a Member occupies an official residence beyond the permissible period he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and liable to eviction in accordance with the rules of the Government.

13. Facility of conveyance.—The Chairman, a Vice-Chairman or a Member shall be entitled to the facility of staff car in accordance with the Staff Car Rules of the Government.

14. Facilities for Medical Treatment.—The Chairman, a Vice-Chairman and a Member shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as are admissible to an officer of the corresponding pay levels in the Government.

15. Conditions of service of sitting judges of the High Court appointed as Chairman or Vice-Chairman.—Notwithstanding anything contained in these rules, where a sitting judge of a High Court is appointed as the Chairman or a Vice-Chairman of the Tribunal, the service conditions as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 and the rules made thereunder shall apply to him, upto the date of his superannuation as a sitting judge of the High Court. Thereafter, he shall be governed by these rules for the remaining period of his tenure as Chairman or Vice-Chairman, as the case may be.

16. Residuary provision.—The conditions of service of the Chairman, a Vice-Chairman or a Member for which no express provision is available in these rules shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to officers of corresponding pay levels belonging to the Indian Administrative Service.

17. Powers to relax rules.—The Central Government may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

[No. A-11019/22/86-AT]

P. G. LELE, Director